

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण (नियोजन), बिहार, पटना।
--: कार्यालय आदेश ::--

का० आ० सं०-1/स्थाप० (क्ष०)-विविध-06/2016-46

पटना-01, दिनांक-16.06.17

बिहार नियोजन लिपिकीय संवर्ग नियमावली-2008 के नियम 11 (2) में निहित प्रावधानों के अंतर्गत निम्नवर्गीय लिपिक को विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आलोक में दिनांक-12.01.17 से बिहार नियोजन लिपिकीय सेवा के उच्चवर्गीय लिपिक के पद पर वेतनमान बैंड वेतन 5200-20200/- + ग्रेड पे 2400) पर सशर्त औपबधिक प्रोन्नति दी जाती है।

| क्र० सं० | नाम | वरीयता क्रमांक |
|----------|------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | श्री उमेश प्रसाद तांती | 122 |

- प्रोन्नति का आर्थिक लाभ उच्चवर्गीय लिपिक के पद पर प्रभार ग्रहण की तिथि से अनुमान्य होगा।
- यह सशर्त औपबधिक प्रोन्नति माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन एवं एस० एल० पी० (सी०) सं०-29770/2015 बिहार सरकार बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य में पारित आदेश एवं माननीय उच्च न्यायालय, बिहार, पटना के समक्ष विचाराधीन सी०डब्ल्यू०जे०सी० सं०-12033/2003 संजय कुमार सिन्हा एवं अन्य बनाम बिहार राज्य में पारित आदेश के फलाफल से प्रभावित होगा।
- प्रस्ताव में प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-
(संजय कुमार सिंह)
निदेशक
नियोजन एवं प्रशिक्षण
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-1/स्थाप० (क्ष०)-विविध-06/2016-

पटना-01, दिनांक-


प्रतिलिपि-प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/सभी उप निदेशक (नियोजन)/सभी सहायक निदेशक (नियोजन),/सभी जिला नियोजन पदाधिकारी/सभी नियोजन पदाधिकारी/श्री उमेश प्रसाद तांती, नवप्रोन्नत उच्चवर्गीय लिपिक को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

ह०/-
निदेशक
नियोजन एवं प्रशिक्षण
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-1/स्थाप० (क्ष०)-विविध-06/2016-614

पटना-01, दिनांक-16.06.17

प्रतिलिपि-आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने संबंधी कार्रवाई करने हेतु प्रेषित।


निदेशक
नियोजन एवं प्रशिक्षण
बिहार, पटना।